निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 4 / 2021 तारीख़ दायरा 15.01.2021

उनवान

1. छीतरलाल उम्र 44 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर।
2. द्वारकीलाल उम्र 37 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी इकलेरा तह. बारां।
3. केलाबाई उम्र 50 वर्ष पुत्री रघुनाथ पत्नी भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम पचेल तहसील अन्ता जिला बारां।
4. कैदारबाई उम्र 48 वर्ष पुत्री रघुनाथ पत्नी राधेश्याम जाति गूर्जर निवासी आकेडी तहसील बारां जिला बारां।
5. भरोसबाई उम्र 46 वर्ष पुत्री रघुनाथ पत्नी ओमप्रकाश जाति गूर्जर निवासी ग्राम इकलेरा तहसील बारां जिला बारां। – वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मदनलाल जाति गूर्जर
2. केसरीलाल पुत्र मदनलाल जाति गूर्जर
3. जोधराज पुत्र मदनलाल जाति गूर्जर

निवासीगण बोरीनाकलां नहर के पास तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनांक :– 26.02.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:41:00 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरीनाकलां पटवार क्षेत्र बोरीनाकलां तहसील सांगोद

जिसने श्रीमति लटूरीबाई की सहमति से उनके जीवनकाल से ही वादी क्रम 1 व 2 का उपयोग उपभोग रहा है। वादी क्रम 1 व 2 स्व0 श्रीमति लटूरीबाई की इच्छानुसार उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करते रहे है, श्रीमति लटूरीबाई का स्वर्गवास लगभग 6 माह पूर्व हुआ है।

वादीगण ने आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण की मौसी स्व0 मथुरीबाई के लडके है, जिनके वादीगण की माता स्व0 लटूरीबाई ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को रिश्तेदारी होने की वजह से मुनाफा काश्त पर जुपा दिया था तथा प्रतिवादीगण भी उक्त कृषि भूमि के मुनाफे की राशि बाजार भाव से प्रतिवर्ष हिसाब करके वादीगण की माता लटूरी बाई को दे जाया करते थे, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है। पिछले दो वर्ष से प्रतिवादीगण ने वादीगण को मनाफे की रकम अदा नहीं की थी व वर्ष 2014 की मुनाफे की रकम को वर्ष 2015 में मंगनी करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि इस साल फसल कमजोर रही है, इसलिए सन 2014 व 2015 दोनों सालो के मुनाफे की रकम एक साथ आपको आखातीज 2016 तक अदा कर देंगे। प्रतिवादीगण के रिश्तेदारी होने की वजह से वादीगण को उनकी नियत पर शक नहीं हुआ व उन्होंने दोनों वर्षों की रकम आखातीज 2016 पर लेने की सहमति दे दी। आखातीज 2016 पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से मुनाफे की रकम की मंगनी की तो वे टालमटूल करने लगे और बाद में उन्होंने जमीन छोडने से मना कर दिया और कहा कि यहां तुम्हारी कोई जमीन नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त कथन किये जाने पर वादीगण को यह महसूस हो गया कि प्रतिवादीगण वादीगण की मां लटूरीबाई के स्वर्गवास हो जाने का फायदा उठाकर उसके खाते की उक्त कृषि भूमि को हडपना चाहते है और जबरन कब्जा बनाये रखना चाहते है, इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मानीय न्यायालय में उक्त कृषि भूमियों से बेदखली का वाद प्रस्तुत करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, जिस पर वे उपस्थित तो हुए, लेकिन कई अवसर देने के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया, जिसे दिनांक 8.12.2020 को बन्द किया जाकर तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। साक्ष्य वादी में वादीगण की ओर से पीडब्ल्यू 1 छीतर व पीडब्ल्यू 2 ... के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनसे जिरह के लिए वकील प्रतिवादी को ... लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से मना किया, जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली को अंतिम बहस हेतु नियत किया जाकर बहस वकील वादी सुनी गई, वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया व वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गई। उन्होंने जाहिर किया कि अपने वाद पत्र के समर्थन में उन्होने वादीगण के खाते की नकल प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है तथा वाद पत्र के समर्थन में ही बयान प्रस्तुत किये है जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:41:00 IST
Reason: SelfAttested

मैंने बहस वादी सुनी और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन से मैंने पाया कि उक्त वाद में विवादित भूमि वादीगण के नाम से खाते में दर्ज है जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से होती है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसकी पुष्टि हेतु वादीगण ने शपथ पत्र पर अपने बयान पत्रावली में प्रस्तुत किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्व प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इतना ही नहीं उन्होंने वादीगण के वाद पत्र का जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे कई अवसर देने के बाद इस न्यायालय द्वारा बन्द किया गया है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस निर्णय पर पहुचती हूँ कि वादीगण उनके वाद पत्र को साबित करने में भली भांति सफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, जो अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम बोरीनाकलां पटवार क्षेत्र बोरीनाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा मे वर्तमान खसरा न0215 की 0.05 हैक्टर, खसरा न0265 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0351 की 0.07 हैक्टर, खसरा न0352 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0353 की 1.34 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 1.51 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना मे वादीगण को उक्त कृषि भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायाल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:41:00 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा